संख्या-67/2024/446/001-446-2024-23-10002-099-6-2022

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक 14 मार्च, 2024

विषय:-अनुदान सं0-54 लेखाशीर्षक 2059 लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन के अंतर्गत बचत की मद से आवश्यकता की मद में पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ (बजट 'क' वर्ग) के पत्र संख्या-826बी0जी0जी0/31बी0-14/2023-24 दिनांक 29.02.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-54 ले0शी0 2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन के अन्तर्गत बचत की मद से आवश्यकता की मद में रू0 625.00 लाख के पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 29.02.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-54 लेखाशीर्षक-2059 लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन-03-निदेशन-49-चिकित्सा व्यय मद में संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्रानुसार पुनर्विनियोग के उपरांत उपलब्ध धनराशि रू0 80.00 लाख निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इस का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 054 लेखा शीर्षक 2059800010300 निदेशन मानक मद 49 चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

क्रमश :

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव

संख्या-67 /2024/446(1)/001-446-2024-23-10002-099-6-2022तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियो में)/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव